| | |
|---|---|
| | वास्ते बहस १२० २।५।१७ को पेश हो। |
| २।५।१७ | पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। बहस सुनी वास्ते आदेश पत्रावली १२।५।१७ को पेश हो। |
| | राजस्व लोक अ... ...अभियान "न्याय आ... ...१७" केम्प स्थल लखारिया दिनांक 1-6-17 |
| | पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत |

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| कैम्प लखारिया पर पेश हुई उप० पत्रों को सुना गया। प्रकरण का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। अपील-अपीलान्ट मे अंकित एवं वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोष, एवं प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया। | |
| अपीलान्टगन द्वारा विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट अपील पेश कर ग्राम नलोरिया की भूमि ख०नं० 4 रकबा 6\|2 पर जारी किये गये नामान्तकरण नं० 302 जिस पर ग्राम पंचायत लखारिया द्वारा अपना आदेश दि० 6.6.2011 पारित किया है। पर आपत्ति पेश की है। अपीलार्थीगण का कथन है, कि वे मृतक कंवरिया के वारिसान है। कंवरिया के दो लड़के थे, भंवरलाल व बद्रीलाल, पुत्री नहीं थी। दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से भंवरलाल के वारिसान अपी० 1 से 4 तथा बद्रीलाल के वारिसान 5 से 7 है। कंवरिया का हिस्सा 1/2 था जिस पर लापरवाही पूर्वक गुपचुप तरीके से नामान्तकरण तस्दीक कर दिया है। उक्त आदेश नितान्त असत्य व काल्पनिक होने से निरस्त योग्य है। प्रकरण में प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | की प्रमा० प्रति० का अवलोकन किया गया। कंवरिया व चैनी व बालचन्द के बाद बकाया उक्त नामान्तरकरण दिनांक 27/5/2011 को पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया है तथा दि. 6.6.11 को जांच भू.अ.नि. तथा दिनांक 6.6.2011 को ही ग्राम पंचायत लाखेरिया द्वारा कौरम में पेश होने पर उक्त नामान्तरकरण को मुताबिक शजरा तस्दीक कर दिया गया है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण पर गुपचुप आदेश के कथन सहज स्वीकार नहीं किये जा सकते।<br>प्रकरण में अन्य तथ्य अर्थात प्रश्न यह है, कि जिस कंवरिया का नाम - जरिये इन्तकाल नम्बर 302 से हटाया गया है, अपीलार्थीगण उक्त कंवरिया के पूर्व मृत पुत्रों के वारिसान बताये जा रहे है। इस प्रकार अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नहीं हो रहा है। परन्तु साथ ही साथ हम यह अंकित किया जाना उचित | |

उपखण्ड अधिकारी रामगंजमंडी

| नम्बर व तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | समझती है, कि संलग्न प्रकरण में अपीलार्थीगण का यह कथन भी कि मृतक जैबिया के वारिसान है, इस बाबत कोई भी तथ्य क्योंकि पेश नहीं किया है। परन्तु फिर भी यह साक्ष्य विधिक परीक्षण आदि का विषय है, जिस पर अपील के स्तर पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील के स्तर पर साक्ष्यादि लिया जाना उचित नहीं है और अपीलार्थीगण का कथन स्वत्वधारी स्वत्व की घोषणा को इंगित करते हैं, जो अपील के माध्यम संभव नहीं है। उक्त प्रकार के अनुतोष हेतु अपीलार्थीगण को R.T. Act 1955 के घोषणा एवं डिक्री के विकल्प का आश्रय लेना चाहिये। | |
| | प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया जिससे यह तय किया जा सके कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लखेरिया द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय कोई प्रक्रियात्मक या अन्य प्रकार की त्रुटि कारित की गई हो। | |
| | प्रकरण में अपीलार्थीगण मृतक जैबिया के विधिक वारिसान है? या नहीं? यह सम्यक साक्ष्य तथा समुचित | |